समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. कमलू दास पिता प्यारे काछी
निवासी ग्राम पाठा तह. अजयगढ़
जिला पन्ना (म.प्र.) .....आवेदक

//विरूद्ध//

1. मठोला काछी पिता प्यारे काछी
2. किशिया बाई पत्नि मठोला काछी
दोनों निवासी - निवासी ग्राम पाठा तह. अजयगढ़
जिला पन्ना (म.प्र.) .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अुनसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला पन्ना (म.प्र.) के प्र. क्र. 09/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-09-14 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:-

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अनावेदिका क्र. 2 के आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण प्रारंभ किया जाकर आवेदक को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आवेदक द्वारा क्रय किया गया विक्रयपत्र कलेक्टर की अनुमति बिना निष्पादित कराया गया है इस कारण 165 (7-ख) का उल्लंघन होने से प्रकरण में कार्यावाही प्रस्तावित की गई जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा यह मान्य किया गया कि प्रस्तावित कार्यावाही में उपरोक्त धारा के तहत किसी प्रकार का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता किंतु विवादित भूमि प्रतिअपीलार्थी क्र. 1 के नाम किये गये बंटन को विधि-विरूद्ध मानते हुए शासन के नाम दर्ज किये जाने से परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है ।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह मान्य किया था कि विवादित भूमि अनावेदक क्रमांक 1 के नाम विधिवत रूप से बंटित की गई थी उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के उपरांत उसके द्वारा बंटवारा अनुरूप विवादित भूमि का विक्रयपत्र निष्पादित किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3842-एक/2017 जिला पन्ना कमलूदास विरूद्ध मठोला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिलीप गोस्वामी उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 09/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-09-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-10-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लांगू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर के जैन)
सदस्य
4.1.19